3. डब्ल्यू.सी. की बैठक का नोटिस डब्ल्यू.सी. के सचिव द्वारा जारी किया जावेगा।

14. डब्ल्यू.सी. की बैठक आवश्यकतानुसार होंगी परन्तु हर माह कम से कम एक बैठक होना आवश्यक है।

15. डब्ल्यू.सी. के प्रत्येक सदस्य का एक वोट होगा और यदि बैठक में वोटों की समानता होती है तो पी.आई.ए. के प्रतिनिधि का वोट निर्णायक होगा।

डब्ल्यू.सी. के अधिकारी

16. डब्ल्यू.सी. के अधिकारी डब्ल्यू.सी. सचिव तथा अन्य ऐसा व्यक्ति जिसे डब्ल्यू.सी. ने आदेशित किया हो, होंगे।

सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य

17. डब्ल्यू.सी. के सचिव की नियुक्ति पी.आई.ए. के परियोजना अधिकारी या डी.आर.डी.ए./राज्यशासन द्वारा निर्धारित एजेन्सी द्वारा ग्राम सभा की सहमति से की जावेगी। सचिव अनिवार्य रूप से उस गाँव का निवासी होगा।

18. सचिव वाटरशेड कमेटी का मुख्य कार्यपालन अधिकारी होगा और वह वाटरशेड प्लान तैयार कराने, वाटरशेड कमेटी की निधियों कार्यकलापों के समुचित प्रशासन एवं उसकी विभिन्न गतिविधियों को पी.आई.ए. तथा ग्राम सभा के निर्देशों तथा मार्गदर्शन के अनुसार क्रियान्वित करने के लिये उत्तरदायी होगा। सचिव के निम्न अधिकार होंगे :–

(1) डब्ल्यू.सी. की ओर से आदेश जारी करना।

(2) आवश्यक पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करना।

(3) डब्ल्यू.सी. की बैठक बुलाना तथा उसका रिकार्ड रखना।

19. डी.आर.डी.ए. या राज्य शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित प्रक्रियानुसार सचिव कार्य करेंगे।

डब्ल्यू.सी. के फन्ड

20. डब्ल्यू.सी. के फन्ड होंगे :–

(अ) डी.आर.डी.ए. द्वारा वाटरशेड गतिविधियों के लिये दी गई राशियाँ।

(ब) पूंजी निवेश द्वारा अर्जित आय।

(स) अन्य स्त्रोतों से योगदान।

21. डब्ल्यू.सी. के सभी फन्ड बैंक में दो खातों में रखे जावेंगे :

(1) परियोजना खाता :– गाँव में वाटरशेड विकास कार्यों को क्रियान्वित करने में खर्च की जाने वाली सकल राशि के लिये।

(2) विकास खाता :– योगदान से प्राप्त राशियों के लिये, जिसका उपयोग परियोजना अवधि के उपरान्त परिसम्पत्तियों के रख रखाव एवं संचालन के लिये किया जावेगा।

22. डब्ल्यू.सी. की राशि का आहरण डी.आर.डी.ए. या राज्य शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार होगा।

23. डब्ल्यू.सी. को इम्प्रेस्ट के रूप में पांच हजार रूपये नगद रखने का अनुमति है।

डब्ल्यू.सी. की परिसम्पत्तियाँ

24. गाँव में वाटरशेड विकास गतिविधियों के अर्न्तगत डी.आर.डी.ए. से प्राप्त धनराशि अथवा ग्राम से योगदान द्वारा प्राप्त राशि से निर्मित चल एवं अचल सम्पत्ति का मालिकाना हक वाटरशेड समिति का होगा।

25. निजी भूमि पर निजी उपयोग के लिये निर्मित परिसम्पत्तियाँ उस व्यक्ति की होंगी जिसके लिये वे निर्मित की गई हैं।

26. आस्था मूलक कार्यों के अन्तर्गत निर्मित परिसम्पत्तिया वाटरशेड कमेटी की सम्पत्तियाँ होंगी।

27. डी.आर.डी.ए. या राज्य शासन वाटरशेड विकास कार्यक्रम के अर्न्तगत गाँव में निर्मित किसी भी परिसम्पत्ति का मालिकाना हक ग्राम पंचायत या उपयोगकर्ता दल या स्वावलम्बन दल या अन्य एजेन्सी को सौंप सकता है

5